

निर्णय ब इजलास कल्पना अग्रवाल आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड़
प्रकरण संख्या 06/2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र कंवर सिंह यादव निवासी ग्राम सिलारपुर पो0 नाघोडी तहसील नीमराना
जिला कोटपूतली-बहरोड़.

अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय

दिनांक 03.02.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ से सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, अपीलार्थी अनुपस्थित रहा।
3. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली बहरोड़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/229 दिनांक 03.02.2025 के द्वारा अवगत कराया अपीलार्थी के आवेदन पत्र के संबंध में परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिला कोटपूतली-बहरोड़ को नियत समय में सूचना उपलब्ध करवाने हेतु जरिये पत्र क्रमांक आरटीआई/2024/2167 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा लिखा जाकर प्रार्थी को जरिये पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/191 दिनांक 27.01.2025 के द्वारा सूचित किया गया। अंत में राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उत्तर की एक प्रति प्रार्थी को भिजवाये जाने से अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।
5. अपीलार्थी को भी जरिये नोटिस सूचित किया उपस्थित रहा। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला कोटपूतली-बहरोड़ द्वारा संबंधित अधिकारी को सूचना देने हेतु निर्देशित किया गया है। चूंकि प्रकरण में राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाने से राज्य लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ से संबंधित नहीं होने से इस अपील का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।
7. निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(कल्पना अग्रवाल)

आई.ए.एस.

अपीलीय अधिकारी (कलक्टर),

कोटपूतली-बहरोड़